



MP Industrial Development  
Corporation Limited

**MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
CORPORATION LIMITED**  
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्रमांक / 62 / एमपीआईडीसी / स्था-सेवा नियम 17 / 2018 / 178

भोपाल दिनांक : 6/2/20

// आदेश //

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड हेतु सहायक ग्रेड-2/कम्प्यूटर आपरेटर पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. ऑनलाईन भोपाल के पत्र क्रमांक एम.पी.ओ/बी.डी./10306 दिनांक 29.06.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान पे-बैंड-1 रु0 5200-20200 ग्रेड पे 2400 (छठवें वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक ग्रेड-2/कम्प्यूटर आपरेटर पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए एतद्वारा पदस्थ किया जाता है:-

सं.क्र	आवेदक का आवेदन क्रमांक	परिक्षा प्राप्तांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	FC0919001291	302	श्री अभिवेक त्रिपाठी	C/O. चन्द्रकला वर्मा, एल. आई.जी 3/7/211 नेहरु नगर, रीवा-486001	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपेन्ट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर
2	FC0919001388	300	श्री तन्मय शर्मा	बी-292, अंसल टाउनशीप तलावली चन्दा, इंदौर-452010	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपेन्ट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर
3	FC0919001166	283	श्री मंयक नामदेव	142 N2, बंगाली कॉलोनी, हबीबगंज, भेल, भोपाल-462024	अन्य पिछड़ा वर्ग	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपेन्ट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
4	FC0919001118	216	श्री रवीन्द्र मण्डलोई	65, अजय बाग कॉलोनी, मूसाखेडी, मेन रोड इंदौर-452001	अनुसूचित जन जाति	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपेन्ट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

- परिवीक्षा पर पदस्थ सेवकों को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुरूप परिवीक्षा अवधि में इस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पदीय वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3. "सहायक ग्रेड-2 के भर्ती विज्ञापन के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 21117/2018 लम्बित है। मान. न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिया है कि "Selection made herein after shall be subject to final outcome of this petition" अतः यह नियुक्ति आदेश मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन भविष्य में आवश्यकतानुरूप संशोधित/ निरस्त किया जा सकेगा।"
4. उपरोक्त निगम सेवकों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश ट्रायफेक (वर्तमान नाम एमपीआईडीसी) सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अनुरूप शासित होगी।
5. परिवीक्षाधीन सेवक यदि त्यागपत्र देना चाहेगा तो उसे निगम को एक माह का समयावधि नोटिस देना अथवा एक माह का वेतन जमा करना आवश्यक होगा।
6. नियुक्त निगम सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।
7. यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
8. नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 25 फरवरी 2020 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि पश्चात नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
9. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।
11. संबंधित निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ उनकी सत्यापित प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा तत्काल प्रबन्ध संचालक एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रहेगी।

12. इस आदेश से नियुक्त निगम सेवक कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
13. प्रमाणित किया जाता है कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के समय प्रभावशील मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

Ra

(विवेक पोरवाल)

प्रबन्ध संचालक

पृ.क्र./62/एमपीआईडीसी/स्था-सेवा नियम 17/2018/1044 to 1054  
प्रतिलिपि:-

o/c  
भोपाल दिनांक : 6/2/2020

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, एमपी आई.डी.सी.लि., भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
3. महाप्रबन्धक, प्रशासन, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया पृष्ठांकन क्रमांक 11 में वर्णित निर्देश अनुरूप ही निगम मुख्यालय में यथा आवश्यक कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
4. श्री/सुश्री ..... की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 25 फरवरी 2020 तक निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि के पश्चात नियुक्ति आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी के परिप्रेक्ष्य में स्वमेव समाप्त माना जाएगा।

संलग्न :- चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारूप।

Ra

प्रबन्ध संचालक

o/c

(एमपी आई.डी.सी में सहायक ग्रेड-2 पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

मैं .....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी .....  
.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

फोटो

1. यह कि मेरा चयन सहायक ग्रेड-2 एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वार्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता .....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को.....मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता